न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी अनिता कुमारी खटीक (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

वाद संख्या–133/2018
वादपत्र प्रविष्टि दिनांक–03.10.2018
निर्णय दिनांक–05.12.2024

1. श्रीराम पुत्र स्व. माधो जाति जाट निवासी ग्राम आजमपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. सीताराम पुत्र स्व. माधो जाति जाट निवासी ग्राम आजमपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. शंकर पुत्र स्व. माधो जाति जाट निवासी ग्राम आजमपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. नाथू उर्फ रामदयाल पुत्र स्व. माधो जाति जाट निवासी ग्राम आजमपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक
5. सीता पुत्री स्व. माधो जाति जाट निवासी ग्राम आजमपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
6. शंकरी पुत्री स्व. माधो जाति जाट निवासी ग्राम आजमपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)

वादीगण

बनाम

तहसीलदार, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रतिवादी

दावा बाबत् दुरूस्ती शीट

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी ख0न0 17, 77, 199, 200, 202, 203, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214 कुल किता 14 कुल रकबा 24–13 बीघा भूमि वाके ग्राम आजमपुरा, पटवार हल्का अनवरनगर उर्फ भूरावाली तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसके अर्थीगण/वादीगण रिकॉर्डेड खातेदार एवं काबिज काश्तकार है। वादीगण ग्राम आजमपुरा तह0 पीपलू की मुख्य आबादी में निवास करते हैं एवं ग्राम आजमपुरा में वादीगण की उक्त वर्णित खातेदारी की भूमि स्थित है। वादीगण के खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि में आने जाने हुए ख0न0 51 में बने हुए आम रास्ता जो कदीम से बना हुआ है, मे से होकर ख0न0 199, 200, 201, 202, 203 तक के खेतो पर व कुए पर आते जाते है। उसी रास्ते से होकर वर्षो से इनके हल, बेल, ट्रेक्टर व अन्य कृषि यन्त्र व पैदावार को लाने ले जाने के लिए एक मात्र उक्त रास्ता है तथा वादीगण के खातेदारी व कुए पर आने जाने के लिए ग्राम आजमपुरा के आबादी से लेकर वर्षो से बने हुए आम रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। वादीगण के खेतो पर आने जाने के लिए मौके पर उक्त मैदान पर होकर वर्षो से लेकर रास्ता बना हुआ है, परन्तु उक्त रास्ते का नक्शा शीअ में तरमीम नही होने के कारण वादीगण को भारी असुविधा का सामना करना पडता है तथा इनको अपने खेतो व कुए पर आने जाने के

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with ACE Scanner

लिए हमेशा असुविधा रहती है। वर्तमान नक्शा ट्रेस में आजमपुरा की मुख्य आबादी से होते हुए सिवायचक में से होकर ख0न0 199, 200, 201, 202, 203 तक नक्शा शीट में तरमीम करवाया जाकर लाल स्याही से रास्ते को डोटेड करवाया जाना आवश्यक है। वादीगण ने उपरोक्त वर्णित रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाने के लिए कई बार प्रयास करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नही हुई। वादीगण को लगातार बिनाय दावा प्राप्त है। अत: प्रार्थना है की दावा वादीगण स्वीकरर कर डिक्री फरमाया जावे एवं डिक्री मुताबिक ग्राम आजमपुरा की आबादी से होते हुए वर्षो से हुए कदीमी आम रास्ते से होकर ख0न0 51 सिवायचक व ख0न0 199, 200, 201, 202, 203 ग्राम आजमपुरा में बने हुए रास्ते का शीट में अंकन करवाया जाकर लाल स्याही से रास्ते को डोटेड लाईनो से प्रदर्शित किया जावे।

पत्रावली दर्ज पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी तहसीलदार पीपलू से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई है। तहसीलदार पीपलू ने तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण मौके पर गुजर रहे आम रास्ता ग्राम आजमपुरा में कदीमी रास्ता ख0न0 51/1 में से होकर गुजर रहा है। उक्त ख0न0 51/1 राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त ख0न0 51/1 रकबा 2.7819 हैक्ट. किस्म बंजड 2 में से गुजर रहे कदीमी रास्ते का वर्तमान का नजरी नक्शा संलग्न है। उकत रास्ता दक्षिण पश्चिम सीमा के लगवा गै.मु. नहर ख0न0 215 रकबा 0.3920 हैक्ट. होने की वजह से बन्द है। वादीगण के खातेदारी ख0न0 199, 200, 201, 202 के उक्त आराजी ख0न0 51/1 सिवायचक व ख0न0 215 गै.मु. नहर के लगवा है। जिसका नक्शा ट्रेस संलग्न है। ख0न0 215 से लगवा पश्चिम–पूर्व की ओर मौके पर रास्ता बना हुआ नही है। जिसे काली स्याही से दर्शाया गया है।

वादी ने बहस का निवेदन किया। बहस सुनी गई। वादी ने दौराने बहस वादपत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा कि भूमि आराजी ख0न0 17, 77, 199, 200, 202, 203, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214 कुल किता 14 कुल रकबा 24–13 बीघा भूमि वाके ग्राम आजमपुरा में स्थित है। जिसके अर्थीगण/वादीगण रिकॉर्डेड खातेदार एवं काबिज काश्तकार है। वादीगण ग्राम आजमपुरा तह0 पीपलू की मुख्य आबादी में निवास करते है। वादीगण के खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि में आने जाने हुए ख0न0 51 में बने हुए आम रास्ता जो कदीम से बना हुआ है, में से होकर ख0न0 199, 200, 201, 202, 203 तक के खेतो पर व कुए पर आते जाते है। उसी रास्ते से होकर वर्षो से इनके हल, बेल, ट्रेक्टर व अन्य कृषि यन्त्र व पैदावार को लाने ले जाने के लिए एक मात्र उक्त रास्ता है तथा वादीगण के खातेदारी व कुए पर आने जाने के लिए ग्राम आजमपुरा की आबादी से लेकर वर्षो से बने हुए आम रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। वादीगण के खेतो पर आने जाने के लिए मौके पर उक्त नम्बरान् पर होकर वर्षो से लेकर रास्ता बना हुआ है, परन्तु उक्त रास्ते का नक्शा शीट में तरमीम नही होने के कारण वादीगण को अपने खेतो व कुए पर आने जाने के लिए हमेशा असुविधा रहती है। वर्तमान नक्शा ट्रेस में आजमपुरा की मुख्य आबादी से होते हुए सिवायचक में से होकर ख0न0 199, 200, 201, 202, 203 तक नक्शा शीट में तरमीम करवाया जाकर लाल स्याही से रास्ते को डोटेड करवाया जाना आवश्यक है। अत: दावा वादीगण स्वीकरर कर डिक्री फरमाया जावे एवं डिक्री मुताबिक ग्राम आजमपुरा की

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with ACE Scanner

आबादी से होते हुए वर्षों से बने हुए कदीमी आम रास्ते से होकर ख0न0 51 सिवायचक व ख0न0 199, 200, 201, 202, 203 ग्राम आजमपुरा में बने हुए रास्ते का शीट में अंकन करवाया जावे।

प्रतिवादी तहसीलदार पीपलू ने अपनी बहस में बताया की वादीगण मौके पर गुजर रहे आम रास्ता ग्राम आजमपुरा में कदीमी रास्ता ख0न0 51/1 में से होकर गुजर रहा है। उक्त ख0न0 51/1 राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त ख0न0 51/1 रकबा 2.7819 हैक्ट. किस्म बंजड 2 में से गुजर रहे कदीमी रास्ते का वर्तमान का नजरी नक्शा संलग्न है। उकत रास्ता दक्षिण पश्चिम सीमा के लगवा गै.मु. नहर ख0न0 215 रकबा 0.3920 हैक्ट. होने की वजह से बन्द है। वादीगण के खातेदारी ख0न0 199, 200, 201, 202 के उक्त आराजी ख0न0 51/1 सिवायचक व ख0न0 215 गै.मु. नहर के लगवा है। जिसका नक्शा ट्रेस संलग्न है। वादीगण को अपनी आराजी में आने जाने हेतु किसी प्रकार की कोई बाधा नही है। मौके पर रास्ता बना हुआ है। जिस पर से होकर वादीगण अपनी आराजी पर आ जा रहे है एवं आराजी ख0न0 51/1 सिवायचक व ख0न0 215 गै.मु. नहर के लगवा से होकर प्रस्तावित है। उक्त भूमि ख0न0 215 गै.मु. नहर के ऊपर से होकर प्रस्तावित है। उक्त भूमि सिंचाई विभाग के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिससे रास्ता दिया जाना उचित नही है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली में प्रस्तुत नक्शा शीट एवं अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू के जवाब का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया। तहसीलदार पीपलू द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। मुताबिक तहसीलदार पीपलू के मौका निरीक्षण अनुसार वादीगण को अपनी आराजी पर पहुंचने हेतु ख0न0 51/1 सिवायचक से होकर ख0न0 215 तक आ जा रहे है। जिसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नही है। उससे आगे मौके पर कोई रास्ता मौके पर मौजूद नही है। लेकिन वादीगण द्वारा ख0न0 215 किस्म गै.मु. नहर के ऊपर से होकर रास्ता चाहा गया है। जबकि भूमि ख0न0 215 सिचाई विभाग के नाम दर्ज रिकॉर्ड है एवं सिंचाई विभाग को आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार होते हुए भी पक्षकार नही बनाया गया है। ख0न0 215 किस्म गै.मु. नहर प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होने के कारण नहर से होकर रास्ता प्रस्तावित किया जाना भी न्यायोचित नही है। साथ प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार गै.मु. नहर के लगवा ख0न0 51/1 से होकर रास्ता दिये जाने हेतु कथन किया है। जहां पर मौके पर कोई रास्ता मौजूद नही है। जबकि वादीगण द्वारा मौके पर चालू रास्ते को पुख्ता किये जाने हेतु वाद बाबत् शीट दुरूस्ती प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित रास्ता सार्वजनिक उपयोग उपभोग के लिए नही होकर वादीगण का व्यक्तिगत हित निहित होना प्रतीत होता है। प्रस्तुत शीट में किसी प्रकार की कोई त्रुटी कारित नही होना प्रकट होता है। उक्त वाद पर शीट दुरूस्ती का वाद कारण प्रोद्भूत नही होता है। वाद वादीगण बाबत् शीट दुरूस्ती नियमसंगत नही होने कारण इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रस्तुत वाद वादीगण खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 05.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

उप (सुनिल कुमार खटीक)

Scanned with ACE Scanner